

Sixteenth Loksabha

an&gt;

Title: Laid Action taken statement of Standing Committee on External Affairs.

**डॉ. शशि थरूर** : महोदया, मैं, कैडर के लिए संघ लोक सेवा आयोग पृथक की परीक्षा, कैरियर-मध्य प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा प्रबोधन की आवश्यकता सहित भारतीय विदेश सेवा कैडर की भर्ती 'संरचना और क्षमता-निर्माण' विषय पर 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

HON. SPEAKER: Hon. Members, the matters under rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the Table within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.